# राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण

## देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना 03 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 कि0ग्रा0 चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनो योजनाओं पर गेहूँ रु0-02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रु0-03 कि0ग्रा0 की दर से देय।

### खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फी नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।







#### खाद्य तथा रसद विभाग

#### उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : लखनऊ

राशन कार्ड क्रमांक :115720631337

: LUCKNOW

मुखिया का नाम

: सुशिला यादव पिता / पति का नाम : राम करन यादव

श्रेणी/जाति

OBC

निवास का पता

: 5-B-185, VRINDAVAN COLONY, GANDHI NAGAR,

TELIBAGH, Lucknow -226002

आधार /इनरोलमेंट न ं : XXXX XXXX

गैस ग्राहक कनेक्शन सं०:

गैस एजेंसी का नाम

उचित दर दुकान Lata Sharma यूनिटों का विवरण : 4 (Four)

दिनांक: 13-06-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

परि	वार की सदस्यों की सूची	
क्रम सं.	नाम	11.05
1	RAM KARAN YADAV	HASBAND
2	ABHINANSHU YADAV	SON
3	RAISI YADAV	DAUGHTER
4	SUSHILA YADAV	SELF